5-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

19.9.19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 5.9.19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश कि जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 191/2019

1 महेन्द्र कुमार
2 सुरेन्द्र कुमार
3 राजेन्द्र कुमार

} पुत्रान श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 औम प्रकाश पुत्र श्री अमराराम जामि कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री खुशप्रीतसिंह सन्धू अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री शमशेरसिंह सन्धू अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 1 एम.ओ.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 7/7 खाता औम प्रकाश जमाबन्दी सम्वत् 20712–74 के पत्थर नम्बर 98/257 मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21 ता 25, पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 9, 12 कुल 3.795 हैक्टर आराजी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु उपरान्त जरिये नामान्तरण संख्या 43/01.03.1988 उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता से विरासतन प्राप्त हुई। इस कारण वाद पत्र की मद सख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी पूर्णतः जद्दी जायदाद साबित होती है तथा जद्दी जायदाद आराजी में कॉ–पार्सनर होने के नाते वादीगण का जन्म से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है।

दफा 2 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 का अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए मुताबिक अच्छी मन्दी भूमि के लिहाज से घरू बंटवारा किया हुआ है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज आराजी में से प्रत्येक वादीगण को घरू बंटवारे में आराजी दी हुई है। इसी अनुसार वादीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी की घोषणा अपने नाम से करवाने के अधिकारी है।

वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 का घराघरू बंटवारा निम्न प्रकार से है :–

(क) हिस्सा वादी सख्या 1 महेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टर।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(ख) हिस्सा वादी सख्या 2 सुरेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1, 2, 3 कुल 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला।

(ग) हिस्सा वादी सख्या 3 राजेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 8, 9, 12 कुल 0.759 हैक्टर।

(घ) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.518 हैक्टर मय खाता रास्ता।

वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है तथा वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा घोषणा करवाकर खाता विभाजन उक्तानुसार करवाने के अधिकारी है क्योकि खाता सांझा रहने से सीव, बट व रकमराज को लेकर विवाद रहता है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर खाता अलग कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया यही वाद कारण है।

प्रतिवादी सख्या 2 तहसीलदार को भू–धारक होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादीगण घोषणा फरमाई जावे कि वादी सख्या 1 महेन्द्र कुमार को चक 1 एम.ओ. डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टर, वादी सख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 982258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1, 2, 3 कुल 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन, वादी सख्या 3 राजेन्द्र कुमार को चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 8, 9, 12 कुल 0.759 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त बीघो से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने का आदेश फरमावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ख) मुताबिक घोषणा वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 का खाता अलग कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

4

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र व भाई का सम्बन्ध है। प्रतिवादी के नाम चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21 ता 25, पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 ता 9, 12 कुल 3.795 हैक्टर आराजी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 का हक व हिस्सा की कृषि भूमि निम्न है :–

(क) हिस्सा वादी सख्या 1 महेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है एवम् इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवानें के लिये सहमत हुए है।

(ख) हिस्सा वादी सख्या 2 सुरेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1, 2, 3 कुल 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला का खातेदार काश्तकार है एवम् इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवानें के लिये सहमत हुए है।

(ग) हिस्सा वादी सख्या 3 राजेन्द्र कुमार :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 8, 9, 12 कुल 0.759 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है एवम् इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवानें के लिये सहमत हुए है।

(घ) हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश :– चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 4 ता 7 कुल 1.518 हैक्टर मय खाला रास्ता का खातेदार काश्तकार है एवम् इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवानें के लिये सहमत हुए है।

प्रशनगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसके उपरोक्त घरेलू बंटवारा से वादीगण एंव प्रतिवादीगण सहमत है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादीगण का घरेलू बंटवारा माना जाकर घोषणा की जाती है तो हम पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी उक्त राजीनामा से सहमत है।

लगातार 4

उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

S

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 2 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाव व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा की दफा 2 की उपचरण "क ता घ" के अनुसार वादी सख्या 1 महेन्द्र कुमार का चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/257, मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 21, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टर, वादी सख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1, 2, 3 कुल 0.759 हैक्टर मय गैर मुमकिन, वादी सख्या 3 राजेन्द्र कुमार को चक 1 एम.ओ.डी., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 7/7, खाता औमप्रकाश, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 98/258 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 8, 9, 12 कुल 0. 759 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त बीघो से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने का आदेश फरमावे तथा उक्तानुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसकं अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जां सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरुप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

लगातार 5

Scanned by CamScanner

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी संख्या 1 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि चक 1 एम.ओ.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 7/7 की कुल 3.795 हैक्टर आराजी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता में वर्तमान प्रविष्टि "औम प्रकाश वल्द अमराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश को 1.518 हैक्टर भूमि" का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/257 (52)	21, 22, 23	0.759 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/258 (57)	1, 2, 3	0.759 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/258 (57)	8, 9, 12	0.759 हैक्टर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 6

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/257 (52)	24, 25	0.506 हैक्टर
		98/258 (57)	4 ता 7	1.012 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.518 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 191/2019

1 महेन्द्र कुमार
2 सुरेन्द्र कुमार
3 राजेन्द्र कुमार
} पुत्रान श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 औम प्रकाश पुत्र श्री अमराराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण की और से श्री खुशप्रीतसिंह सन्धू अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री शमशेरसिंह सन्धू अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक .....09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि चक 1 एम.ओ.डी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 7/7 की कुल 3.795 हैक्टर आराजी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता में वर्तमान प्रविष्टि "औम प्रकाश वल्द अमराराम" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार को 0.759 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश को 1.518 हैक्टर भूमि" का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/257 (52)	21, 22, 23	0.759 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/258 (57)	1, 2, 3	0.759 हैक्टर

3. वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/258 (57)	8, 9, 12	0.759 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 11 मक्कासर तहसील व हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एम.ओ.डी.	7/7	98/257 (52)	24, 25	0.506 हैक्टर
		98/258 (57)	4 ता 7	1.012 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.518 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19....09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 16:18:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: